कार्यालय अधीक्षक जिला जेल झाबुआ (म.प्र.)

::- निविदा की शर्ते-::

1. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न, सब्जियों, दवाइयां, स्वच्छता/ विद्युत सामग्री एवं अन्य सामग्री के क्रय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम 1968 एवं म.प्र. भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाइन की जाएगी |
2. निविदा सम्बन्धी जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है | निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रु. 500 एवं 5 लाख से अधिक रु. 1000/- प्रति निविदा फार्म ऑनलाइन लेखा शीर्ष 0056-जेलें-800 अन्य प्राप्तियों में जमा करना होगा |
3. निविदाएँ खंडवार पृथक-पृथक ऑनलाइन जमा की जाएगी।| निविदा में 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी | 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (EMD) अर्थात बयाने की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	खंड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत बयाने की राशि
1.	दवाईयां,	8,00,000.00	24,000.00

4. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2027 तक अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेंगे |
5. खाद्यान्न वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होने चाहिए | प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगी | निविदा में जो दर प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए | पृथक से कोई कर देय नहीं होगा |
6. उन्ही निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी जो वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे | प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ती प्रकाशित होने की स्थिति से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिटर्न अथवा पिछली तीन माही (Quarter) का जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. निविदाएं संबधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारो या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एंव क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएगी । तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एंव जेल सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एंव निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाएगा।

8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमाक 05/वारंट-3/भोपाल, दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र-(अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक 200-200 रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टांप (नवीन स्टाम्प ड्यूटी 30-07-2025 के अनुसार) पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक-पृथक शपथ पत्र बनाया जाए। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार हैः-

शपथ पत्र "अ"

(कारागार अधिनियम 1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं .... जो जिला जेल झाबुआ की --------------- सामग्री प्रदाय हेतु फर्म -- की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ । मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ की निविदा करने वाली फर्म ----------------------------------- के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्य प्रदेश के जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

Scanned with OKEN Scanner

शपथ पत्र "ब"

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्र. 05/वारंट-3/ब.मृ./2014 दिनांक 28.01.2015 के पालन में)

मैं .... जो जिला जेल झाबुआ की ---------- ----------------- सामग्री प्रदाय हेतु फर्म --- --- की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ | मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ की निविदा करने वाली फर्म ------------------------------------ के मालिक/भागीदार किसी भी अपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

9. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढाई जा सकेगी ।

10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वंय हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित ऑनलाइन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराये जाएंगे । तकनीकी बिड खुलने के पश्चात ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किये जावेगें। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूल प्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेगें। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकि बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) खोले जायेगें:-

I आधार एवं पेन कार्ड |

II मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र |

III जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जी.एस.टी. रिर्टन अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जी.एस.टी. रिर्टन |

IV विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र |

Scanned with OKEN Scanner

V शपथ पत्र "अ" तथा "ब" ।

VI अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस ।

VII खाद्य वस्तुओं के लिए संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन रजिस्ट्रेशन अथवा वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)

VIII वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/नगर पालिका / नगर परिषद का वैद्य लाइसेंस । इन संस्थाओ द्वारा वैद्य लाइसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।

IX दवाईयों की निविदा हेतु वैद्य ड्रग लाइसेंस ।

X. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से सबंधित-पत्र ।

XI. वस्तुओं के ब्रांड से संबंधित -पत्र।

XII. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा पत्र।

11. निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है । सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाए जाते है, तो सम्बंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

12. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे । निविदाकार जिन सामग्रियों के लिए निविदा प्रस्तुत कर रहे है उन सामग्रियों के ब्रांड तथा मेक का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है । नमूने प्राप्त ना होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रांड नामों का उल्लेख ना होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डिब्बों में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर, स्वहस्ताक्षरित फर्म की सील लगाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

13. नमूने का परिक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा सम्बंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जायेगा । जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूनों पर हस्ताक्षर कर, सीलबंद डिब्बों में रखे जायेंगे । निविदाकारों द्वारा प्रदाय वस्तुएं साफ-सुथरी होगी और नमूनों से मिलाई जाएगी । व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का

Scanned with OKEN Scanner

मिलान नमूने के मुताबिक होने ना होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी जो मान्य होगी |

14. निविदा में दर्शायी गयी सामग्री की मात्रा अनुमानित है | आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है | सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा | कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार ना होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी | अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरंत वापस ले जाकर नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा | माल प्रदाय ना करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली सम्बंधित ठेकेदार से की जावेगी | यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Perforance Guarantee) राशि में की जा सकेगी | साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जाएगी |

15. सब्जियां साफ़ एवं ताज़ी प्रदाय करना होगी जो प्रातः 07 बजे से 09 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट पर पहुंचानी होगी | निर्धारित समय तक सब्जियां प्राप्त ना होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिए खुले बाजार से सब्जियां क्रय की जाएगी | जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी | ठेकेदार द्वारा विलम्ब से भेजी गयी सब्जियां वापस कर दी जाएगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगें | सब्जियां जेल बगीचे से उपलब्ध ना होने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएगी |

16. दवाइयां एवं चिकित्सकीय सामग्रियों की निविदा हेतु निविदाकार को वैध ड्रग लायसेंस अपलोड करना अनिवार्य है | जिन दवाओं में एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा 01 वर्ष से अधिक नियत की गयी हो, ऐसी दवाइयों की प्रदायगी सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम से कम 01 वर्ष शेष होना आवश्यक है | दवाइयां एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्री ठेके में एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी | निविदाकार को अस्पताल में भर्ती बंदियों तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियों हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाइयों की पूर्ति करना होगी |

Scanned with OKEN Scanner

17. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्ध-शासकीय/ शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय ना करने की स्थिति में ही स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगी |

18. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी हो उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टांप (वाणिज्यिक कर) विभाग मध्यप्रदेश के निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर करारनामा भरना होगा जिसकी प्रति संबंधित जेल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है |

19. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी | ठेके की शर्तों, क्रियान्वयन के लिए सफल निविदाकर्ता निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में निविदा के रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड-ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/ बैंकर्स चेक/ बैंक गारंटी/ Irrevocable के रूप में देगा | बैंक गांरटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगी । 3 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

20. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मध्य प्रदेश भोपाल के अनुमोदन के उपरांत ही मान्य होगी | निविदा खोलने के बाद यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (एल-1) निविदा वापस लेते हुए करारनामा भरने निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इनकार करता है तो उसका ठेका निरस्त करते हुए उसके द्वारा जमा की गयी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की रकम जप्त कर ली जाएगी और सम्बंधित खंड/ सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी |

21. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियाँ समझोते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इंडेंट के आधार पर संबंधित जेल गेट पर करनी होगी | इसके लिए कोई अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा | इंडेट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

22. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार हेतु अपने अधिकृत **मोबाईल नम्बर/whatsapp Number/Email ID** देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिन्टेट लेटर पेड पर मोबाईल नम्बर/**whatsapp Number/Email ID** में से कोई

Scanned with OKEN Scanner

एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

23. देयकों का भुगतान सम्बंधित जेल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा काटा जायेगा | विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जायेगा | देयकों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा |

24. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मध्य प्रदेश को सम्बंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गयी निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजुर करने का पूरा अधिकार है |

25. निविदा तथा करारनामे के अनुसार पूर्ति के सम्बन्ध में सभी विवाद सम्बंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगे |

नोट:- जेल मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/4832/निर्वाह/2026, दिनाक 26.02.2026 एवं पत्र क्रमांक/4915/दिनाक 27.02.2026 के आदेशानुसार शपथ पत्र 200 रूपए के स्टाम्प पर एवं नोटरी 50 रु का टिकिट लगाना ही विधि अनुसार मान्य होगा |

जेल अधीक्षक
जिला जेल झाबुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by SUJIT KHARE
Date: 2026.04.24 13:34:21 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with OKEN Scanner